न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : अशोक कुमार ,आर.ए.एस.
राजस्व आवेदन संख्या :–314/2022
जी.सी.एम.एस.संख्या :–2022/476

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थी
बुधराज पारीख पुत्र सत्यनारायण जाति बाहम्रण निवासी महादेव नगर ग्राम खोखरिया बनाड़ जिला जोधपुर		राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पचपदरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251 क, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम1955

उपस्थिति–

1.श्री बाबुलाल सांखला अधिवक्ता प्रार्थी

2.विप्रार्थी अनुपस्थित।

:आदेश :

दिनांक– 30.6.2025

1. प्रकरण का संक्षिप्त में सारवान तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थी बुधराज पारीख पुत्र सत्यनारायण जाति बाहम्रण निवासी महादेव नगर ग्राम खोखरिया,बनाड़ व जिला जोधपुर ने अपने खातेदारी भूमि खसरा संख्या 450/144 क्षेत्रफल1.4164 हैक्टयर मौजा वेदरलाई तहसील पचपदरा में कृषि कार्य हेतु आवागमन के लिए विप्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 270/144में से परिशिष्ट अ में दर्शित मार्क ए से सी बरंग पीला 30 फीट चौड़ा रास्ता कायम करने हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया हैं तथा संलग्न नक्शानुसार रास्ता नजदीक सरल एवं एकमात्र विकल्प होने के कारण प्रार्थी के खातेदारी जोत तक कृषि कार्य आवागमन हेतु उक्तानुसार सार्वजनिक रास्ता घोषित करने का निवेदन किया हैं।

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थी को जरिए नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थी के रजिस्ट्रर्ड नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थी तहसीलदार पचपदरा ने जवाब पेश नही कर निर्धारित प्रारूप में मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की,जो शामिल मिसल है।

3. तत्पश्चात् प्रकरण में उभय–पक्षकारान की बहस सुनी गई। विद्वान प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस प्रार्थना–पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी के आवेदन–पत्र के संलग्न नजरी नक्शा परिशिष्ट 'अ' में दर्शित मार्क ए से बी तक यानि विप्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 270/144 में से 30 फीट बंरग पीला चौड़ा रास्ता आवागमन एवं कृषि उपयोग हेतु रास्ता घोषित किया जावें। उक्त रास्ता

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

नजदीक सरल एवं सुगम रास्ता है,प्रार्थी के पास आवागमन हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता विधमान नहीं है। अंत में निवेदन किया कि तहसीलदार पचपदरा द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट अनुसार रास्ता स्वीकृत किया जाता है,तो प्रार्थी को आपत्ति नहीं है। प्रार्थी प्रस्तावित रास्ता की स्वीकृति के बदले क्षतिपूर्ति राशि जमा करवानें के लिए सहमत है।

4. हमनें उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं मौका जांच रिपोर्ट का गहनतापूर्वक अवलोकन किया तथा सुसंगत विधिक प्रावधानों पर गौर किया। जिसमें पाया कि प्रार्थी की खातेदारी खसरा संख्या 450/144 के लिए विप्रार्थी की खसरा संख्या 270/144 में से बरंग लाल में दर्शित रास्ता प्रस्तावित किया गया है। जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी भूमि तक पहुंचने हेतु खसरा संख्या 270/140 में से 30 फीट चौड़ाई का रास्ता प्रदान करने का निवेदन किया है। जवाब में विप्रार्थी तहसीलदार पचपदरा ने मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्रस्तुत कर प्रार्थी की खातेदारी भूमि तक पहुंच हेतु रिपोर्ट उपलब्ध करवाए गए,जिसके अनुसार :–

i. ग्राम वेदरलाई तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 270/144 क्षेत्रफल 46.5064 हैक्टयर किस्म गै.मु.खार भूमि में से आवागमन हेतु प्रस्तावित रकबा 0.0418 हैक्टयर (150 फीट लम्बाई व चौड़ाई 30 फीट) भूमि प्रस्तावित की गई है तथा प्रस्तावित रास्ता जो कि निकटतम एवं उपयुक्त है। प्रस्तावित रास्ता के अलावा अन्य कोई विकल्प रास्ता नहीं है। इसके उपरांत न्यायालय हाजा द्वारा दुबारा स्पष्टीकरण रास्ता रिपोर्ट लिए जाने पर भी तहसीलदार पचपदरा द्वारा प्रस्तावित रास्ता ही एकमात्र विकल्प रास्ता बताया गया तथा प्रार्थी को प्रस्तावित रास्ता दिए जाने की अनुशंषा की गई।

5. हस्तगत प्रकरण के विचारण एवं निर्णयन हेतु इन धारा 251–क,राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में संक्षिप्त जांच के संबध में वर्णित प्रावधान का उल्लेख करना आवश्यक समझतें है,जिसके अनुसारः–

i. यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं हैं; और

ii. अन्य खातेदार की जोत में से होकर,विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में,पहुँचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है–

तो आदेश द्वारा,आवेदक को,अभिधारी,जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सीमांकित या दर्शित लाईन के साथ–साथ भूमि की सतह से कम से कम तीन फुट नीचे पाइपलाईन बिछाने के लिए या ऐसे ट्रैक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है,दर्शाया जाये,भूमि में से होकर,और यदि ऐसा ट्रेक दर्शित नहीं किया जाये तो लघुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो तीस फुट से अनधिक

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) डालोतरा

तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए,उस अभिधारी को,जो उस भूमि को धारित करता है,जिसमें से होकर पाइपलाइन बिछाने या एक नया मार्ग बनाने या विधमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजुर किया जाये,ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये,अनुज्ञात कर सकेगा।

उक्त वर्णित प्रावधान से स्पष्ट है,कि प्रार्थी द्वारा आवेदित रास्ते की आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता हो तथा वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध होने पर नया रास्ता बनाने हेतु अनुज्ञात किया जा सकेगा।

6. चूंकि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं तहसीलदार पचपदरा द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी के खातेदारी खेत खसरा संख्या 450/144 में आवागमन हेंतु राजस्व रेकर्ड एवं मौके पर कोई रास्ता उपलब्ध नहीं हैं,अतः उक्त वर्णित धारा 251–क प्रावधानानुसार प्रार्थी की आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता प्रमाणित होती है तथा आवागमन हेतु वैकल्पिक साधन के अभाव भी प्रार्थी द्वारा सिद्ध किया गया हैं। विप्रार्थी तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी द्वारा आवेदित रास्ते की लम्बाई 150 फीट एवं चौड़ाई 30 फीट यानि 0.0418 हैक्टयर हैं,जो खसरा संख्या 270/144 में होकर गुजरता है तथा प्रस्तावित रास्ता ही एकमात्र विकल्प बताया है,इसके अलावा अन्य वैकल्पिक रास्ता नहीं होना बताया है। इसके अतिरिक्त तहसीलदार पचपदरा द्वारा अपनी मौका रिपोर्ट में न ही राजहित के प्रभावित होने का उल्लेख किया है। उक्त विवेचन के आधार पर विप्रार्थी तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में दर्शित रास्ता अधिक उपयुक्त एवं व्यावहारिक प्रतीत होता हैं।

7. उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी की खातेदारी भूमि तक पहुंचने हेतु वांछित रास्ता उपलब्ध करवाना अधिक उपयुक्त है,अतः हम प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही के लिए यहां राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र कमांक प.3(52) राज–6/12/4 दिनांक 14.06.2013 में वर्णित प्रावधानों का उल्लेख करना आवश्यक समझते हैं,जिसके अनुसारः–यदि कोई खातेदार अपनी जोत तक पहुंचन के लिए राजकीय भूमि में से होकर नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विधमान मार्ग का विस्तारित या चौड़ा करना चाहता है,तो ऐसे खातेदार द्वारा ऐसे सुविधा के लिए आवेदन करने पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा जॉच करने पर यह समाधान हो जाये कि मार्ग की आवश्यकता है एवं खातेदार को उसकी जोत तक पहुंचने के लिए वैकल्पिक साधन का अभाव हैं। उक्त स्थिति में राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 के नियम 2 के उपनियम (1) के खण्ड (ख) के तहत गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की गई। कृषि भूमि दरों का दुगना प्रतिकार लिया जाकर रास्ता प्रदत्त किया जावे। यह नया मार्ग लघुत्तम या निकटतम रूप से होगा तथा 30 फीट से अधिक चौड़ा नहीं होगा। रास्ते के लिए प्रदत्त की गई भूमि राजस्व अभिलेखों में रास्ते के रूप में अभिलेखित की जायेगी एवं उक्त भूमि का प्रयोग सार्वजनिक होगा।

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

उक्त वर्णित प्रावधानों के अनुसरण में तहसीलदार पचपदरा द्वारा प्रस्तावित रास्ता दर्शित बरंग लाल कुल रकबा 0.0418 हैक्टयर की सार्वजनिक रास्ता हेतु डी.एल.सी. दर प्रति हैक्टयर के बदले प्रतिकर हेतु दुगूनी देय राशि दिए जाने का प्रावधान है,जिसको प्रार्थी राजकोष के निर्धारित शीर्ष में जमा करवाने हेतु सहमत है,अतः हम प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र वांछित अनुतोष अनुरूप स्वीकार करना उचित एवं न्यायसंगत समझते हैं।

आदेश :–

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 भली भांति साबित होने एवं सारवान होने के कारण स्वीकार किया जाता है,तथा ग्राम वेदरलाई तहसील पचपदरा प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 450/144 में पहुंच हेतु खसरा संख्या 270/144 में से संलग्न नक्शानुसार बरंग लाल लम्बाई 150 फीट व चौड़ाई 30 फीट यानि रकबा 0.0418 हैक्टयर भूमि सार्वजनिक रास्ते के रूप में उपयोग हेतु अनुज्ञात की जाती है। तहसीलदार पचपदरा को निर्देश प्रदान किये जाते है कि उक्त वर्णित भूमि का प्रतिकर राशि की अपनी स्तर पर वर्तमान डी.एल.सी.दर से गणना करते हुए कुल देय राशि की दुगुनी राशि प्रार्थी से वसूल करते हुए राजकोष मे नियमानुसार जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाकर रास्ता का राजस्व रेकॉर्ड में अंकन करे तथा मौके पर उक्त घोषित सार्वजनिक रास्ते का सीमाज्ञान किया जाकर प्रार्थी को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें तथा पालना रिपोर्ट न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करें। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर लेख्य भंडार हो।

उपखण्ड अधिकारी (SDO) बालोतरा

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा
30/06/2025

निर्णय आज दिनांक 30.6.2025 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा
30/06/2025